

शहरी क्षेत्रों में 3000 वर्ग मीटर भूमि होने पर ही खोल सकेंगे नजी स्कूल

चर्चा में क्यों?

2 जनवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि राज्य बोर्ड ने शहरी क्षेत्र में नजी विद्यालय खोलने के लिये 3000 वर्ग मीटर ज़मीन होना जरूरी कर दिया गया है, जो कि पहले यह 650 वर्ग मीटर थी।

प्रमुख बिंदु

- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि नजी स्कूलों को मान्यता देने के लिये प्रस्तावित नए मानकों व शर्तों को शासन ने मंजूरी दे दी है। शासन ने यह मंजूरी बोर्ड द्वारा नए नियमों को लेकर आए सुझावों व आपत्तियों का औचित्य न होने की बात कहते हुए खारजि करने के बाद दी है।
- नई शर्तों के तहत अब शहरी क्षेत्र में विद्यालय खोलने के लिये 3000 वर्ग मीटर ज़मीन होना जरूरी होगा, जो कि पहले 650 वर्ग मीटर ही थी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में 6000 वर्ग मीटर ज़मीन की अनिवार्यता होगी, जो कि पहले 2000 वर्ग मीटर थी।
- इसके अलावा धरोहर राशियों में भी कई गुना बढ़ोतरी की गई है। साथ ही स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास व विभिन्न संसाधन होना भी जरूरी किया गया है।
- दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार ये बदलाव यानी न्यूनतम मानक राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा के लिये निर्धारित हो रहे हैं। इसीलिये वित्तवहिन विद्यालयों को मान्यता देने के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनियमों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
- शासन ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सभापति व सचिव को निर्देश दिये हैं इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 की धारा-16(2) में व्यवस्था के अनुसार मानकों, शर्तों की अधिसूचना गजट में प्रकाशित की जाए।
- हाईस्कूल की नवीन मान्यता के लिये प्रमुख अनिवार्य शर्तें-
 - समिति/ट्रस्ट/कंपनी अधिनियम-2013 के अध्याय 8 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी (नॉट फॉर प्रॉफिट) का पंजीकृत व यथा स्थिति निवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।
 - प्राभूत (जमानत) कोष के रूप में पाँच लाख रुपए केवल विद्यालय के नाम जमा व निरीक्षण अधिकारी के पदनाम में बंधक होंगे। पहले प्राभूत कोष के लिये 15 हजार रुपए राशि निर्धारित थी।
 - सुरक्षा कोष के रूप में डेढ़ लाख रुपए जमा होंगे, जबकि पहले मात्र 3000 रुपए जमा करना अनिवार्य था।
 - ऑडियो वीडियो प्रोजेक्टर, बड़ी स्क्रीन की एलईडी टीवी की व्यवस्था स्मार्ट क्लास व कंप्यूटर कक्ष में 25 कंप्यूटर की व्यवस्था करनी होगी।
 - शहरी क्षेत्र की कुल 3000 वर्ग मीटर विद्यालय भूमि में 1000 वर्ग मीटर और ग्रामीण क्षेत्र की 6000 वर्ग मीटर भूमि में 2000 वर्ग मीटर भूमि का करीड़ास्थल होगा।
 - करीड़ा स्थल में एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, खो-खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, ओपेन जमिनेजियम व अन्य आउटडोर गेम्स के साथ इनडोर गेम्स व शारीरिक सौष्ठव की पर्याप्त व्यवस्था होगी। पहले ऐसी मान्यता की शर्त नहीं थी।
 - छात्र संख्या के अनुरूप एक वर्ग मीटर की दर से प्रत्येक छात्र, छात्रा के लिये कुर्सी, मेज, डेस्क बेंच की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही प्रयोगशाला की भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। पहले की शर्त में जूनियर कक्षाओं के साथ 200 सेट सज्जा होना अनिवार्य था।
 - सवच्छ पेयजल, शौचालय आदि की पर्याप्त व्यवस्था, छात्र, छात्राओं व दवियांगजन की सुविधा के अनुसार करने की वसित्त शर्तें होंगी। पहले सरिफ समुचित व्यवस्था की शर्त थी।
 - पुस्तकालय में वृहद पाठ्य सामग्री रखनी होगी। शिक्षण सामग्री की वसित्त व्यवस्था करनी होगी।
 - संस्था में शिक्षकों, कर्मचारियों की उपस्थिति के लिये बायोमीट्रिक मशीन, वायस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर, हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन, वाई-फाई के साथ ही विद्यालय की वेबसाइट होना जरूरी होगा।
 - विद्यालय भवन सुरक्षा मानकों पर निर्मित हो और वहाँ वदियुत, सौर ऊर्जा के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग व जल-मल निकासी की व्यवस्था करनी होगी।
- नए विद्यालय की मान्यता के लिये हाईस्कूल की अनिवार्य शर्तें पूरी करने के बाद इंटरमीडिएट के संचालन के लिये कुछ अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी। इसके तहत दो लाख रुपए प्राभूत कोष व सुरक्षा कोष के लिये एक लाख रुपए अतिरिक्त जमा करने होंगे।

